न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
59/11	08.03.2011	18.01.2019

1 श्योनारायण पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर, हाल आबाद ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

–वादी

बनाम

1 रामौतार पुत्र बन्शीराम
2 जगदीश पुत्र बन्शीराम – फौत
2/1 लालीदेवी पत्नी जगदीश
2/2 सुनिल कुमार
2/3 धर्मवीर पुत्रान जगदीश
2/4 रीनाबाई पुत्री जगदीश जाति अहीरान निवासीयान मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
3 प्रकाश पुत्र बन्शीराम जाति अहीरान निवासीयान मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
4 गाहड पुत्र चुन्ना
5 छोटिया पुत्र चुन्ना– फौत
5/1 राकेश पुत्र छोटिया
5/2 मनोज
5/3 कोकली
5/4 मुकेश पुत्रीयान छोटिया जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
6 माडिया पुत्र तोतिया जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
7 रूगलिया पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.–हजफ
8 मंगलिया पुत्र खूबला जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज. –हजफ
9 उपपंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज.
10 तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज. – प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा इश्तकरारहक मय हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति– श्री सरजीत कुमार वकील वादी
श्री अरूण पंडित वकील प्रतिवादी

–:निर्णयः–

दिनांक :– 18.01.2019

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा की विवादित आराजी साबिक ख0न0 923 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

जिसके हाल खसरा नं0 1752/0.81, 1753/0.70, 1881/0.29 है0 पैमूद होकर वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर मे स्थित है विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त विवादित आराजी मिनवादी की पुश्तैनी आराजी है जो मिनवादी के सगा चाचा मृतक भगवाना पुत्र रिछपाल की कब्जे काश्त की आराजी है। जो अपने जीवनकाल मे काबिज काश्त आराजी रहे उसकी मृत्यु के बाद मिनवादी लगातार कब्जे काश्त आराजी है। भगवाना ने एक वसीयत अपनी चल अचल सम्पत्ति बाबत मिनवादी के पक्ष मे तहरीर व तकमील कराकर दिनांक 17.01.1989 को रजिस्टर्ड करायी है। इस प्रकार वसीयत कर्ता की वसीयत के आधार पर व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिनवादी ही मृतक भगवाना का वारिस है तथा अरसा दराज से मिनवादी ने खसरा नं0 1753 मे मकानात बनाकर अपनी रिहायिश की हुई है तथा विवादित आराजी वादी की कब्जाकाश्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध और सरोकार नही है तथा मिनवादी राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने के पूर्व व उस समय से लगातार आज तक काबिज काश्त आराजी है किन्तु बंदोबस्त विभाग ने रिकार्ड को तब्दील कर प्रतिवादीगण का नाम गलत अंकन कर दिया जिसे दुरूस्त कराकर मिनवादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादीगण का नाम रिकार्ड मे होने की वजह से प्रतिवादीगण ने मिनवादी को दिनांक 03.03.2011 को बेदखल करने व खुर्द-बुर्द करने की एलानिया धमकी दी। जिसके बाबत नकल जमाबन्दीयात दिनांक 04.03.2011 को ज्ञान हुआ। जिससे बिनायदावी वो बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। मिनवादी का केस प्राइमाफैसाई है बैलन्स आफ कनविनेंस बहक वादी है। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो मिनवादी को अजहद क्षति होगी। मिनवादी अपने अधिकारो की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है का निवेदन करते हुए बहक वादी विरूद् प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी किया जावे की विवादित आराजीयात वाके ग्राम शामदा से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे आराजी को रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे एव ना ही मिनवादी की कब्जेकाश्त मे मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 9 व 10 बाद विधिवत् तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति मे

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

उनके विरूद् एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी तथा दौराने सुनवाई प्रतिवादी सं0 7 व 8 के नाम को बाद सुनवाई हजफ किया गया।

प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र के जिम्मनो को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया जिसका सारतः रहा की आराजी से वादी व वादी के बुजूर्ग चाचा का कोई संबंध व सरोकार नही है ना ही कभी रहा है। वादी विवादित आराजी से गैरवास्ता गैरकाबिज आदमी है। जब उक्त आराजी से चाचा का कोई संबंध ही नही रहा है तो वसीयत कराने का कोई संबंध नही होता है। विवादित आराजी मिनप्रतिवादीगण के बुजूर्ग के कब्जेकाश्त की आराजी है जिसपर मिनप्रतिवादीगण मौके पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। मिनप्रतिवादीगण के बुजूर्ग राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने के पूर्व से व टिनेन्सी एक्ट अधि0 लागू होने के पूर्व से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उनकी फौतगी पर मिनप्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी ने कथित दिनांक मिथ्या व मनगढंत दर्ज की है इसलिए वादी को कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है तो वादी का केस प्राइमाफेसाई व बेलन्स आफ कनविनेंस वादी के पक्ष मे होने का सवाल ही पैदा नही होता है इसलिए वादी किसी भी प्रकार से मिनप्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है का निवेदन करते हुए वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन रहा।

प्रकरण मे निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

1 आया वादी विवादित आराजी ख0 न0 1752, 1753, 1881 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी का अंकन कराने का हकदार है।
–जिम्मेवादी

2 आया वादी विवादित आराजी मे प्रतिवादीगण को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करने व वादी के कब्जेकाश्त को मजाहमत पैदा ना करने के लिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
–जिम्मेवादी

3 आया वादी ने तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाने से पूर्व 2 माह का नोटिस नही दिया है इसलिए वाद वादी काबिल खारिज है।
–जिम्मेप्रतिवादीगण

4 आया वादी व प्रतिवादीगण अदालत श्रीमान के क्षेत्र मे निवास नही करते है इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज है।
–जिम्मेप्रतिवादीगण

5 दादरसी–

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र श्योनारायण पी0 डब्ल्यू0–1, पुरूषोतम पी0 डब्ल्यू0–2, बलबीर पी0 डब्ल्यू0 –3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2015 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2020–23 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत 2023 प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श–7, नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2011 कार्यालय जिला कलक्टर प्रदर्श–8, नकल रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.01.1989 प्रदर्श–9, नकल इंतकाल सं0 967 प्रदर्श–10 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के समर्थन मे केवल मात्र मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र माडिया पुत्र तोतिया एवं भूपसिंह पुत्र झूथरराम का पेश किया एवं पेश करने शेष साक्ष्य प्रतिवादी व जिरह साक्ष्य प्रतिवादी के बाबत समय चाहा गया जो 18 बार अवसर दिये जाने पृथक पृथक 100 रू एवं 500 रू कुल कोस्ट राशि 600 रू पर वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी शेष व जिरह साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर अन्तिम अवसर तथा काश्तकार हित मे पुनः अन्तिम अवसर उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी पेश किये जाने का अवसर दोराने सुनवाई समाप्त किया गया साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन मे किसी भी प्रकार का कोई रिकार्डेड साक्ष्य तथा दस्तावेज पेश नही किया।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी दौराने बहस वादी के वाद पत्र के जिम्म्नो को दोहराते हुए वकील वादी का अभिकथन रहा की विवादित आराजीयात वादी के सगे चाचा मृतक भगवाना की रही है तथा भगवाना अपने जीवनकाल मे विवादित आराजी पर काबिज काश्त कर रहा है एवं भगवाना की फौतगी के बाद वादी लगातार आज तक काबिज काश्त आराजी है। मृतक भगवाना ने वादी के वादी के पक्ष मे दिनांक 17.01.1989 को वसीयत उपपंजीयक मुण्डावर से तहरीर एवं तकमील कराई है जिसके आधार पर भगवाना की मृत्यु दिनांक 15.07.1991 मे हो जाने उपरान्त वसीयत दिनांक 17.01.1989 के आधार पर इंतकाल सं0 967 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर का अन्य आराजीयात के बाबत का भगवाना पुत्र रिछपाल के बजाय श्योनारायण पुत्र मुखराम वादी के नाम का स्वीकार हो चुका है जो प्रदर्श–10 शामिल पत्रावली है एवं मुताबिक वसीयत दिनांक 17.01.1989 वसीयत की इबारत मे अंकित है कि ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर व मल्लूवास तहसील बानसूर मे मेरी जो जायदाद है मै अपनी प्रसन्नता से बिला किसी दबाव के होश मे उक्त दोनो गॉवो की चल अचल सम्पत्ति की वसीयत श्योनारायण पुत्र मुखराम के नाम कर कर इकरार करता हू। उक्त वसीयत प्रदर्श–9 शामिल पत्रावली है एवं दौराने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 श्रीमान न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

चाहे जाने पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जरिये पत्राक 426 दिनांक 09.08.2012 मय नजरी नक्शा व मौका पर्चा प्रस्तुत की गयी जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक उक्त मौका रिपोर्ट दोनो पक्षो की उपस्थिति मे मौका देखा गया एवं उपस्थितो ने बताया की खसरा नं0 1753 मे 1756 नंबर से लगती हुई सीमा पर श्योनारायण पुत्र मुखराम अहीर साकिन मल्लूवास ने पक्के मकान बना रखे है तथा शेष रकबे मे जोत एवं बाजरे की फसल श्योनारायण द्वारा बोई हुई है का अंकन किया हुआ है। उक्त मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के भी वादी का मौके पर कब्जा है। विवादित आराजीयात साबिक ख0 नं0 923 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा से पैमूद हुआ है जिसके बाबत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 शामिल पत्रावली है का कथन करते हुए निवेदन रहा की विवादित आराजीयात पर नकल जमाबन्दी संवत् 2015 प्रदर्श–3 शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक गत ख0 नं0 923 खाता नं0 110 के कांलम सं0 5 मे स्पष्ट अंकन है कि तोतया इत्यादि खाता नं0 109 अनुसार बकाश्त भगवान पुत्र रिछपाल अहीर साकिन मल्लूवास साल 3 सिकमी एवं मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2019 प्रदर्श–4 के कांलम नं0 5 अनुसार खाता सं0 156 मे तोतिया वगैरा खाता नं0 155 बकाश्त भगवान पुत्र रिछपाल अहीर साकिन मल्लूवास सिकमी साल सात, मुताबिक नकल ख0 गिरदावरी संवत् 2020–23 प्रदर्श–5 तोतिया वगैरा बकाश्त भगवाना पुत्र रिछपाल सिकमी एवं ठीक इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2023 प्रदर्श–6 के खाता सं0 160 साबिक खसरा नं0 923 के बाबत कांलम नं0 5 मे तोतया वगैरा बकाश्त भगवाना पुत्र रिछपाल सिकमी साल 11 का अंकन है लेकिन नकल जमाबन्दी सेटलमेंट संवत् 2029 प्रदर्श–7 अनुसार कांलम नं0 5 मे केवल रामप्रसाद, बन्शी पुत्रान श्योसहाय समभाग 1/24, चुन्ना पुत्र भूधर 1/8, माडिया पुत्र तोतिया 2/8, रूघलिया पुत्र रामनारायण 3/8, मंगलिया पुत्र खूबला 1/12 कोम अहीर सा0 मल्लूवास खातेदार का अंकन है। जो हाल तक उपरोक्तानुसार ही पुनरावर्ति होती रही है साथ ही वादीगण द्वारा जिला लेख भण्डार अलवर से नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2023 तक गत खसरा नं0 923 ग्राम शामदा चाही जाने बाबत नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संवत् 2011 से 2023 तक का रिकार्ड फटा हुआ है के अंकन के साथ के बाबत की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र वादी द्वारा पत्रावली मे पेश की गयी है जो प्रदर्श–8 शामिल पत्रावली है का निवेदन करते हुए वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन रहा।

ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के जिम्मनो को दोहराते हुए अभिकथन किया की वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मन नं0 3 मे जो कथन किया गया है उस

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

दौरान मै फोज मे था वसीयत कब कराई मुझे नही पता था। दस्तावेज शामिल फाईल है का अभिकथन करते हुए वादी के वाद को खारीज किये जाने का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन निम्नानुसार रहा–

1 तनकी नं0 1– आया वादी विवादित आराजी ख0 न0 1752, 1753, 1881 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी का अंकन कराने का हकदार है। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादी रहा है। जिस बाबत उपरोक्तानुसार वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक सुनी गयी बहस एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगा0 10 एवं तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पंत्राक 426 दिनांक 09.08.2012 के अवलोकन एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन मे किसी भी प्रकार का कोई भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य स्वरूप किता 3 शपथपत्र प्रस्तुत करने एवं समस्त गवाहान द्वारा जिरह साक्ष्यवादी मे भी पूर्व से ही वादी का कब्जा होना एवं रिकार्डेड प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर इस तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण बहकवादी स्वीकार योग्य पाता है।

2 तनकी सं0 2– आया वादी विवादित आराजी मे प्रतिवादीगण को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करने व वादी के कब्जेकाश्त को मजाहमत पैदा ना करने के लिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मेवादी रहा है। जब तनकी सं0 1 ही बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी स्वीकार हो चुकी है तो ऐसी स्थिति मे यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाया जाकर बहकवादी स्वीकार योग्य पाता है।

3 तनकी सं0 3– आया वादी ने तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाने से पूर्व 2 माह का नोटिस नही दिया है इसलिए वाद वादी काबिल खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादीगण रहा है। तनकी सं0 1 व 2 जिम्मेवादी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण बहकवादी स्वीकार योग्य पाता है।

4 तनकी सं0 4– आया वादी व प्रतिवादीगण अदालत श्रीमान के क्षेत्र मे निवास नही करते है इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादीगण रहा है। जब तनकी सं0 1, 2, 3 तीनो ही तनकी बरखिलाफ प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

होकर बहकवादी स्वीकार योग्य पायी जा चुकी है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहकवादी स्वीकार योग्य पाता है।

5 दादरसी– उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नं0 1752/0.81, 1753/0.70, 1881/0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे ना ही हाल रिकार्ड मे हो रहे उनके नाम के अंकन के आधार पर रहन बय आदि से मुन्तकिल ही करे। प्रतिवादीगण द्वारा बैंक रहन की स्थिति मे बैंक ऋण राशि प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात से वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/1/19

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक पदेन कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–साधूराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
59/11	08.03.2011	18.01.2019

1 श्योनारायण पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर, हाल आबाद ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

–वादी

बनाम

1 रामौतार पुत्र बन्शीराम
2 जगदीश पुत्र बन्शीराम – फौत
2/1 लालीदेवी पत्नी जगदीश
2/2 सुनिल कुमार
2/3 धर्मवीर पुत्रान जगदीश
2/4 रीनाबाई पुत्री जगदीश जाति अहीरान निवासीयान मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
3 प्रकाश पुत्र बन्शीराम जाति अहीरान निवासीयान मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
4 गाहड पुत्र चुन्ना
5 छोटिया पुत्र चुन्ना– फौत
5/1 राकेश पुत्र छोटिया
5/2 मनोज
5/3 कोकली
5/4 मुकेश पुत्रीयान छोटिया जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
6 माडिया पुत्र तोतिया जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.
7 रूगलिया पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.–हजफ
8 मंगलिया पुत्र खूबला जाति अहीर निवासी मल्लूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज.–हजफ
9 उपपंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज.
10 तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज.

– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा इश्तकरारहक मय हु0 ई0 दवामी

–पर्चा डिकी–

वादी की ओर से श्री सरजीत कुमार एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री अरूण पंडित एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.01.2019 को साधूराम जाट उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हाल आराजी खसरा नं0 1752/0.81, 1753/0.70, 1881/0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे ना ही हाल रिकार्ड मे हो रहे उनके नाम के अंकन के आधार पर रहन बय आदि से मुन्तकिल ही करे। प्रतिवादीगण द्वारा बैंक रहन की स्थिति मे बैंक ऋण राशि प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात से वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 18.01.2019 को लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

18/1/19

(साधू राम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner